



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052021-227269
CG-DL-E-31052021-227269

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1932|
No. 1932|

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2021/ज्येष्ठ 10, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2021/JYAISHTHA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2021

का.आ. 2077(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4567 (अ) दिनांक 17.12.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में जालंधर बाईपास (जालंधर रिंग रोड) के कि.मी. 27 से कि.मी.29.5 (डी सी कार्यालय कपूरथला) (जिला राजस्व अधिकारी कपूरथला) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25.12.2020" को "ट्रिब्यून " और "अजीत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में जालंधर बाईपास (जालंधर रिंग रोड) के कि.मी. 27 से कि.मी.29.5 (डी सी कार्यालय कपूरथला) (जिला राजस्व अधिकारी कपूरथला) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: कपूरथला			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: फगवाड़ा				
	गांव का नाम: खजुरला (82)				
1	19//11	निजी	कृषि	0.0733	ऍम /अस राइट स्क्वायर कंपनी अट्ट अस सी ओ नो .30-31 गुरु राम दास डिवीने टावर टॉप फ्लोर पुडा काम्प्लेक्स ऑप तहसील काम्प्लेक्स जालंधर सिटी बजरिया पीआरपी मंजीत सिंह (१९११ १ १९११ २ १९११ ३ ११९//११/१, १९//११/२, १९//११/३/१ & १९//११/४/१)
2	19//26	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0253	ऍम /अस राइट स्क्वायर कंपनी अट्ट अस सी ओ नो .30-31 गुरु राम दास डिवीने टावर टॉप फ्लोर पुडा काम्प्लेक्स ऑप तहसील काम्प्लेक्स जालंधर सिटी बजरिया पीआरपी मंजीत सिंह (१९२६)
3	20//15	निजी	कृषि	0.0936	ऍम /अस राइट स्क्वायर कंपनी अट्ट अस सी ओ नो .30-31 गुरु राम दास डिवीने टावर टॉप फ्लोर पुडा काम्प्लेक्स ऑप तहसील काम्प्लेक्स जालंधर सिटी बजरिया पीआरपी मंजीत सिंह (20//15/१ & 20//15/२)
4	20//16	निजी	कृषि	0.1087	ऍम /अस राइट स्क्वायर कंपनी अट्ट अस सी ओ नो .30-31 गुरु राम दास डिवीने टावर टॉप फ्लोर पुडा काम्प्लेक्स ऑप तहसील काम्प्लेक्स जालंधर सिटी बजरिया पीआरपी मंजीत सिंह (20//16/१/१)

5	20//6	निजी	कृषि	0.0632	एँम /अस राइट स्क्वायर कंपनी अट्ट एस सी ओ नो .30-31 गुरु राम दास डिवीने टावर टॉप फ्लोर पुडा काम्प्लेक्स ऑप तहसील काम्प्लेक्स जालंधर सिटी बजरिया पीआरपी मंजीत सिंह (20//6/1/2 & 20//6/2)
			कुल	0.3641	

[फा. सं. PD/PIU-JAL/JALANDHAR RING ROAD/241/2020/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 2021

S.O. 2077(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide S.O no 4567 (E) dated 17.12.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Jalandhar Bypass (Jalandhar Ring Road) on the stretch of land from Km 27 to Km 29.5 (DC Office Kapurthalla) (District Revenue Officer Kapurthalla) in the district of KAPURTHALA in the state of PUNJAB;

And whereas the substance of the said notification has been published in The Tribune (English) and Ajit (Punjabi) both dated 25.12.2020 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within of Jalandhar Bypass (Jalandhar Ring Road) on the stretch of land the from Km 27 to Km 29.5 (DC Office Kapurthalla) (District Revenue Officer Kapurthalla) in the district of KAPURTHALA in the state of PUNJAB

State: PUNJAB		District: KAPURTHALA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Phagwara				
	Village: Khajurla (82)				
1	19//11	Private	Agriculture	0.0733	M/S Right Square Company at SCO No .30-31 Guru Ram Das Divine

					Tower Top Floor Puda Complex Opp Tehsil Complex Jalandhar City Bajriya Prp Manjit Singh 19//11/1, 19//11/2, 19//11/3/1 & 19//11/4/1
2	19//26	Private	Non- Agriculture	0.0253	M/S Right Square Company at SCO No .30-31 Guru Ram Das Divine Tower Top Floor Puda Complex Opp Tehsil Complex Jalandhar City Bajriya Prp Manjit Singh 19//26
3	20//15	Private	Agriculture	0.0936	M/S Right Square Company at SCO No .30-31 Guru Ram Das Divine Tower Top Floor Puda Complex Opp Tehsil Complex Jalandhar City Bajriya Prp Manjit Singh 20//15/1 & 20//15/2
4	20//16	Private	Agriculture	0.1087	M/S Right Square Company at SCO No .30-31 Guru Ram Das Divine Tower Top Floor Puda Complex Opp Tehsil Complex Jalandhar City Bajriya Prp Manjit Singh 20//16/1/1
5	20//6	Private	Agriculture	0.0632	M/S Right Square Company at SCO No .30-31 Guru Ram Das Divine Tower Top Floor Puda Complex Opp Tehsil Complex Jalandhar City Bajriya Prp Manjit Singh 20//6/1/2 & 20//6/2
			TOTAL	0.3641	

[F. No. PD/PIU-JAL/JALANDHAR RING ROAD/241/2020/3D]

RAJESH GUPTA, Director